निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	:	**श्री विजय किरन आनन्द,**
पदनाम	:	जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
निरीक्षण स्थल	:	ग्राम सरदारपुर स्थित भूखण्ड की स्टाम्प की जांच जनपद–शाहजहाँपुर।
निरीक्षण का दिनांक	:	15–04–2016

मेरे द्वारा दिनांक 15.04.2016 को शासनादेश सं0 क0नि0–5–1420/11–99–500(136)/89 दिनांक 16.08.1999 के क्रम में विलेख संख्या 3694/2016 जो दिनांक 28.04.2016 को पंजीकृत कराया गया है का निरीक्षण किया गया। निरीक्षित विलेख में अंकित सम्पत्ति का विवरण तथा उस पर अदा किये गये स्टाम्प का विवरण निम्नवत है :–

1. विलेख संख्या	3667/2016
(क) प्रस्तुत करने का दिनांक	08.03.2016
(ख) विलेख द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का निर्धारित सूची के अनुरूप मूल्यः–	8680000.00
(ग) स्थलीय निरीक्षण की जाने वाली सम्पत्ति की स्थिति/ वर्तमान उपयोगः–	कृषि
2– स्थल निरीक्षण किये जाने वाली सम्पत्ति की स्थिति कृषि/आवासीय/व्यवयायिक/औद्योगिक,	कृषि
3– सम्पत्ति के आस–पास विद्यमान गतिविधियां–	कृषि
4– शासनादेश के अनुसार सम्पत्ति की स्थिति उपयोगिता के आधार पर–	2800000.00 प्रति हेक्टेअर

5– सम्पत्ति– एक किता आराजी उफतादा कृषि भूमि गाटा सं0 209 रकवा क्षेत्रफल 3.100 हेक्टेअर।

स्थित– ग्राम सरदारपुर परगना व तहसील पुवायाँ शाहजहाँपुर।

विकेता :– श्री हरनेक सिंह पुत्र श्रवण सिंह, निवासी ग्राम धीमरपुरा, परगना व तहसील पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर आदि।

केता :– शुभदीप कौर पुत्री श्री रमेन्द्रपाल सिंह, निवासी ग्राम धीमरपुरा, परगना व तहसील पुवायाँ, शाहजहाँपुर।

चौहद्दीः–

पूरब–चकमार्ग कच्चा	उत्तर–सत्यप्रेम पेट्रोल पम्प
पश्चिम–आराजी नरेन्द्र कौर आदि	दक्षिण–आराजी दलजीत सिंह आदि

6– जैसा कि प्रपत्र नियम–6, में उद्वरित किया गया है कि अन्तरित सम्पत्ति–एक किता आराजी कृषि क्षेत्रफल 3.100 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम सरदारपुर परगना व तहसील पुवायाँ, शाहजहाँपुर का दिनांक 15.04.2016 को उप जिलाधिकारी पुवायां/क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, लेखपाल की उपस्थिति में स्थलीय

निरीक्षण किया गया तथा मौके पर लेखपाल द्वारा तैयार किया गया चौहद्दी युक्त सम्पत्ति का नजरी नक्शा व फोटो आदि संलग्न है।

दिनांक 01.08.2015 से प्रभावी वार्षिक रेट सूची के प्रारूप–4, पृष्ठ सं0 63, क्रम सं0 704, वी कोड 1400 पर निर्धारित दर 2800000/–रू0 प्रति हेक्टेअर, सामान्य कृषि दर निर्धारित है। उक्त भूमि सामान्य चकमार्ग पर स्थित है। सम्पत्ति का विक्रीत क्षेत्रफल 3.0100X2800000=13397318 अर्थात 8680000/–रू0 पर महिला क्रेता को अनुमन्य अधिकतम सीमा तक देय छूट के अनुसार 04 प्रतिशत की दर से तथा शेष अतिरिक्त मालियत पर 05 प्रतिशत की दर से कुल 424000/–रू0 स्टाम्प देय है, जो कि अदा किया गया है।

निरीक्षण के दौरान उक्त भूमि गाटा संख्या कृषि भूमि गाटा सं0 209 रकवा क्षेत्रफल 3.100 हेक्टेअर पर कुल 27 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के लगे पाए गए, जिसकी सूची मौके पर उपस्थित लेखपाल द्वारा तैयार करायी गई। उक्त सूची के अनुसार संदर्भित भूखण्ड पर कलमी आम के कुल 15 वृक्ष, सागौन के 07 वृक्ष, कटहल के 05 वृक्ष इस प्रकार कुल 27 वृक्ष लगे पाए गए।

उक्त संदर्भित विलेख में किसी भी वृक्ष का मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा विलेख के पृष्ठ संख्या 04 के बिन्दु संख्या 07 में विक्रीत आराजी में वृक्ष–पेड़–बोरिंग आदि न होना अंकित किया है, जबकि मौके पर निरीक्षण के समय 27 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के पाए गए हैं। इस प्रकार इस विलेख में विक्रीत भूमि पर लगे हुए वृक्षों को धोखा–धड़ी कर करापवंचन के उद्देश्य से छिपाते हुए अंकित नहीं किया गया है। इस इस इस विलेख में वृक्षों के मूल्यांकन पर पृथमदृष्टया करापवंचन किया जाना परिलक्षित होता है।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर।

पत्रांक- 1286/एस0डी0/स्टाम्प/2016 दि- 5/5/16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), शाहजहाँपुर।

2– सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित उप निबंधक का उक्त के क्रम में स्पष्टीकरण प्राप्त कर आख्या प्रस्तुत करें।

3– उप निबन्धक पुवायाँ, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ कि संदर्भित विलेख में पाये गए करापवंचन का मूल्यांकन कर नियमानुसार वाद दर्ज कराना सुनिश्चित कराएं।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर।